4689
Date- 15/7/14

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद परिसर
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

कार्यालय आदेश

1. कार्यकारिणी समिति की दिनांक 11.12.13 को सम्पन्न 70वीं बैठक में आंतरिक कोषांगों यथा Quality Cell (Experts at State Level), Quality Cell (Coordinators at District Level), Gender Equity Cell (Consultant at State Level), Civil Works Cell (Experts at State Level) की व्यवस्था समाप्त करते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण कर राज्य स्तर पर गुणवत्ता कोषांग में कार्यरत विशेषज्ञों को सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी के रिक्त पदों पर, जिला स्तर पर गुणवत्ता कोषांग में कार्यरत गुणवत्ता समन्वयकों को सहायक साधन सेवी के रिक्त पदों पर, असैनिक कार्य कोषांग में कार्यरत अनुश्रवण सलाहकारों को सहायक अभियंता के रिक्त पदों पर तथा राज्य स्तर पर गठित आंतरिक अंकेक्षण कोषांग में कार्यरत वरीय अंकेक्षक को प्रबंधन संरचना के तहत समरूप पद सृजित करते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण कर योग्य पाये जाने पर वरीय अंकेक्षक के रिक्त पद पर सामंजित करने का निर्णय लिया गया था।

2. उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन में मूल्यांकन परीक्षाओं में विभिन्न कोषांग के 31 कर्मियों में से मात्र 03 कर्मी यथा श्री भारत भूषण, श्री दिलीप कुमार सिन्हा तथा मो0 अशफाक अली ने भाग लिया तथा तीनों ने न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक प्राप्त किये, परन्तु 28 व्यक्तियों ने मूल्यांकन परीक्षा में भाग नहीं लिया।

3. आंतरिक कोषांग के 05 कर्मियों यथा डा0 नरेश कुमार सिंह, श्री बिनीत कुमार ठाकुर, श्रीमती नमिता भरद्वाज (तीनों राज्य स्तरीय कार्मिक), श्री प्रभात एवं श्री ओम प्रकाश मिश्रा (दोनों जिला स्तरीय कार्मिक) ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद संख्या 2587/14 दायर किया। जिसमें उन्होंने पुनः मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने एवं जिन पदों पर वे कार्यरत थे उनसे निम्नतर पदों पर किए जाने के निर्णय पर असंतोष जाहिर किया। वादीगण में से तीन यथा श्री बिनीत कुमार ठाकुर, श्री प्रभात एवं श्री ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में IA संख्या 2851/2014 दायर वाद के माध्यम से तीनों वादियों द्वारा याचिका वापस ली गई है। शेष दो वादियों यथा डा0 नरेश कुमार सिंह एवं श्रीमती नमिता भरद्वाज ने भी सशर्त्त मूल्यांकन परीक्षा देने संबंधी आवेदन दिया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा दायर वाद में अंतरिम आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें अंकित तथ्यों से सहमत न होते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल करते हुए यह आग्रह किया गया है कि कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में सभी ऐसे कार्मिकों को मात्र मूल्यांकन कर योग्य पाये जाने पर उनके लिए निर्धारित पद के विरूद्ध उन्हें सामंजित किया जा सकता है साथ ही यह भी प्रतिशपथ पत्र में अंकित किया गया है कि सशर्त्त सामंजन के आवेदन जो कार्यकारिणी समिति के पूर्व में लिए गये निर्णय से भिन्न है वह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मान्य नहीं है।

4. ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व कोषांग के इन 28 कार्मिकों की संविदा दिनांक 30.11.13 एवं दिनांक 31.03.14 के प्रभाव से समाप्त हो चुकी है। इन कार्मिकों के मूल्यांकन परीक्षा में 01.02.14 को शामिल नहीं होने के कारण संविदा समाप्ति तिथि से आगामी अवधि के लिए विस्तार न करते हुए निर्णय की तिथि 20.02.14 के प्रभाव से इन 28 कार्मिकों की संविदा समाप्त कर दी गई।

5. ज्ञातव्य है कोषांग में पूर्व के कार्यरत कतिपय व्यक्तियों ने पुनः मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने एवं उन्हें शामिल करने की इच्छा जाहिर की है। वादीगण में से तीन यथा श्री बिनीत कुमार ठाकुर, श्री प्रभात एवं श्री ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में IA संख्या 2851/2014 दायर वाद में प्राप्त अन्तरिम न्यायादेश में यह आश्वासन अंकित किया गया है कि उन्हें पूर्व के आदेश के आलोक में मूल्यांकन प्रक्रिया अन्तर्गत जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, इस IA के माध्यम से तीनों वादियों द्वारा याचिका वापस ली गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अन्य आंतरिक कोषांगो के कर्मी जो 01.02.2014 को आयोजित जाँच परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, वे इस याचिका में सीधे वादी नहीं थे।

6. कार्यकारिणी समिति की 70वीं बैठक में सामंजन करने संबंधी लिये गये निर्णय के आलोक में निर्धारित नये पदों पर Fresh contractual appointment ही कर सामंजन किया जा सकता था अतः तकनीकी रूप से दिनांक

Ph. : 0612-2667163
E-mail :ssabihar@gmail.com
Website - www.bepcssa.org
FAX : 0612-2667190

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद परिसर
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

20.02.14 के प्रभाव से उनकी संविदा समाप्ति के बावजूद कार्यकारिणी समिति की 70वीं बैठक में सामंजन के निर्णय की मूल भावना एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अंतरिम न्यायादेश के अनुरुप तीन वादियों को मूल्यांकन परीक्षा में शामिल करने के मद्देनजर ऐसे सभी कोषांग कार्मिक जो मूल्यांकन परीक्षा में कार्यकारिणी समिति के निर्णय के अनुरुप बिना किसी शर्त्त पर अब शामिल होना चाहते है को मूल्यांकन परीक्षा में शामिल करने पर दिनांक 26.5.14 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की 73वीं बैठक में रखे गये प्रस्ताव के आलोक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्राधिकृत प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग–सह–उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति द्वारा इस शर्त्त के साथ अनुमोदन दिया गया है कि गुणवत्ता कोषांग (विशेषज्ञ), गुणवत्ता कोषांग (समन्वयक), जेण्डर इक्विटी कोषांग एवं असैनिक कार्य कोषांग में पूर्व में कार्यरत वे सभी कार्मिक जिनकी संविदा समाप्त हो चुकी है मूल्यांकन परीक्षा में इस घोषणा पत्र के साथ शामिल हो सकते है कि उन्हें कार्यकारिणी समिति का निर्णय सर्वथा मान्य है एवं मूल्यांकन परीक्षा में योग्य पाये जाने पर ही निर्धारित पद पर उनकी नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।

7. तदनुसार मूल्यांकन परीक्षा दिनांक 02.08.2014 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से 11:30 बजे तक शिक्षा भवन, सैदपुर, पटना के भूतल स्थित सभागार में निम्न कोषांगों के सामने उल्लिखित पूर्व कोषांग कर्मियों के मूल्यांकन हेतु अंतिम रूप से निर्धारित की जाती है:–

1. श्री डॉ0 नरेश कुमार सिंह, गुणवत्ता कोषांग में विशेषज्ञ के रूप में पूर्व कार्मिक,राज्य स्तरीय कार्यालय,पटना
2. श्रीमती नमीता भरद्वाज, जेण्डर इक्विटी कोषांग में विशेषज्ञ के रूप में पूर्व कार्मिक, राज्य स्तरीय कार्यालय, पटना
3. श्री रुपेन्द्र कुमार, असैनिक कार्य कोषांग में अनुश्रवण सलाहकार के रूप में पूर्व कार्मिक, राज्य स्तरीय कार्यालय, पटना
4. श्री बिनीत कुमार ठाकुर, असैनिक कार्य कोषांग में अनुश्रवण सलाहकार के रूप में पूर्व कार्मिक, राज्य स्तरीय कार्यालय, पटना
5. श्री अरविन्द कुमार, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– औरंगाबाद
6. श्री मुकेश कुमार, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– मुजफ्फरपुर
7. श्री मो0 शम्से आलम शम्स, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– पटना
8. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– बक्सर
9. श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– वैशाली
10. श्री ओम प्रकाश मिश्रा, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– रोहतास
11. श्री सुजीत कुमार, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– मुंगेर
12. श्री सैयद जावेद हुसैन, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– दरभंगा
13. श्री प्रभात, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– गोपालगंज
14. श्री दिलीप कुमार, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला – सीतामढ़ी
15. श्री नसीम आलम, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– किशनगंज
16. श्री सुरेन्द्र प्रसाद, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– समस्तीपुर
17. मो0 शैफुल अंसारी, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– पूर्णियाँ
18. श्री सुजय, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– सिवान
19. श्री उमेश उपाध्याय, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– पूर्वी चंपारण
20. श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक,जिला– प0 चम्पारण
21. श्री दिनेश कुमार, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– बेगूसराय
22. श्री पंकज कुमार, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– खगड़िया
23. श्री रमेश कुमार महतो, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– मधुबनी
24. श्री अनिल कुमार, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– कटिहार
25. श्री अरूण कुमार वर्मा, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– नालन्दा

Ph. : 0612-2667163
E-mail :ssabihar@gmail.com
Website - www.bepcssa.org
FAX : 0612-2667190
शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद परिसर
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

26. श्री सुधीर कुमार झा, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– सहरसा
27. श्री सुशील कुमार मंडल, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– मधेपुरा
28. श्री उपेन्द्र प्रसाद, गुणवत्ता कोषांग में जिला समन्वयक के रूप में पूर्व कार्मिक, जिला– अरवल

8. उपर वर्णित मूल्यांकन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे तथा मूलतः यह सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी एवं मानसिक योग्यता परीक्षा पर आधारित होगी। परीक्षा 1–2 घंटे अवधि की होगी। पूर्णांक 100 अंक होंगे तथा प्रश्न 50 पूछे जाएगे। उर्त्तीणांक 40% होंगे।

9. वैसे व्यक्ति जिन्हें न्यूनतम अर्हतांक (उर्त्तीणांक) प्राप्त नहीं होगे वे निर्धारित पदों पर चयनित/नियुक्त नहीं किये जाएगें एवं भविष्य में उनका इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

10. कंडिका 7 में वर्णित सभी पूर्व कर्मियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 02.08.2014 को निर्धारित मूल्यांकन परीक्षा में भाग लेना सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व स्वहस्ताक्षरित लिखित घोषणा पत्र समर्पित करने के बाद में ही पूर्व कर्मी विशेष को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी। घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र इस आदेश के साथ संलग्न है।

(राहुल सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक : MGT/01/Part-II/2010-11/ 4689 दिनांकः 15/7/2014

प्रतिलिपि : 1. सभी संबंधित पूर्व आंतरिक कोषांग कार्मिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना, बक्सर, वैशाली, रोहतास, मुंगेर, दरभंगा, गोपालगंज, सितामढ़ी, किशनगंज, समस्तीपुर, पूर्णियाँ, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, खगड़िया, मधुबनी, कटिहार, नालन्दा, सहरसा, मधेपुरा, अरवल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर से भी संबंधित कोषांग कर्मियों को सूचित कर दें।
3. सभी संबंधित प्रभाग प्रभारी, ई.एफ.ई. के.जी.बी.भी., असैनिक कार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर से भी संबंधित कोषांग कर्मियों को सूचित कर दें।

राज्य परियोजना निदेशक

Ph. : 0612-2667163
E-mail :ssabihar@gmail.com
Website - www.bepcssa.org
FAX : 0612-2667190
शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

घोषणा पत्र

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के आदेश ज्ञापांक MGT/01/Part-II/2010-11/4689 दिनांक 15.07.2014 के अनुपालन में मैं एतद् द्वारा बिना किसी शर्त्त या दबाव के घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं दिनांक 02.08.2014 को निर्धारित मूल्यांकन परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार हूँ तथा मैं जानता/जानती हूँ कि मूल्यांकन परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक प्राप्त होने पर ही मुझे निर्धारित रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयनित किया जाएगा तथा प्रमाण–पत्रों आदि की जाँच के उपरान्त नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।

हस्ताक्षर